बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:–3 / अ0प्र0–1–37 / 2017 38 / पटना, दिनांक :– 23.8.21

श्री विनय कुमार सिन्हा, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा से कार्य प्रमंडल, आरा अतर्गत महुलीघाट से खवासपुर जानकी बाजार तक पथ के अनुरक्षण के द्वितीय वर्ष में ही फ्लैंक के मिट्टी में क्षरण एवं चार स्थानों पर PCC Pavement में Longitudinal crack पाये जाने के आरोप में विभागीय पत्रांक 718 अनु0 दिनांक 20.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सिन्हा द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 14.05.2020 विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त पथ में कार्य प्रारंभ की तिथि 16.06.2015 है तथा कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 10.06.2016 है। उनका स्थानांतरण कार्य प्रमंडल, आरा से माह जून 2015 में हो गया था एवं दिनांक 22.07.2015 को विरमित भी हो चुके थे। उनके द्वारा मात्र पथ के प्रारंभिक पथांश 2.5 कि0मी0 में मिट्टी एवं जी0एस0बी0 का कार्य कराया गया था। पथ में शेष मिट्टी कार्य, जी0एस0बी0, ग्रेड–2, ग्रेड–3, पी0सी0सी0 एवं कालीकरण के साथ साथ अनुरक्षण का कार्य उनके बाद के अभियंताओं द्वारा कराया गया है। उक्त आरोप से उनका कोई संबंध नहीं है।

3. श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा के विरूद्ध पथ के अनुरक्षण के द्वितीय वर्ष में फ्लैंक के मिट्टी में क्षरण एवं PCC Pavement में Longitudinal crack पाये जाने का आरोप है, जबकि वे प्रश्नगत प्रमंडल में कार्य प्रारंभ की तिथि 16.06.2015 से दिनांक 22.07.2015 तक ही पदस्थापित रहे हैं। इस अवधि में श्री सिन्हा के द्वारा मात्र पथ के प्रारंभिक पथांश 2.5 कि0मी0 में मिट्टी एवं जी0एस0बी0 का कार्य ही कराया गया है। पथ के मात्र चार स्थानों पर Longitudinal crack पाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पी0सी0सी0 के नीचे Embankment/Sub-grade/GSB layer का समुचित Compaction किया गया था। निर्माण कार्य के दौरान PCC mix में प्रयुक्त Stone Aggregates का Gradation test एवं PCC का Crushing Strength संबंधी प्रयोगशाला जॉचफल Permissible प्रतिवेदित है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाते हुए उसे आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री विनय कुमार सिन्हा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 23/8/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–37/2017 1167 /पटना, दिनांक :– 23.8.21

प्रतिलिपि :–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/8/21

अभियंता प्रमुख